न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा।

पीठासीन अधिकारी – श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मु0 नं0 – 36/2016
प्रकरण दर्ज – 22.9.2016
प्रकरण निस्तारण – 27.09.2021

अनुवानी प्रकरण

1. चंपा पत्नी रामनिवास जाति मीना निवासी मोहनपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
2. अनिल पुत्र रामनिवास
3. सुनील पुत्र रामनिवास
4. मोहित पुत्र रामनिवास

नाबालिगान जरिये संरक्षिका माता चंपा पत्नी रामनिवास जाति मीना निवासी मोहनपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

– वादीगण

बनाम

1. पूनी पत्नी मूल्या
2. राजन्ती पुत्री मूल्या
3. लाली पुत्री मूल्या
4. उर्मिला पुत्री मूल्या
5. गीता पुत्री मूल्या
6. रिंकू पुत्री मूल्या
7. हंसा पुत्री मूल्या
8. मनीषा पुत्री मूल्या

जाति मीना निवासी मोहनपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान।
10. उप पंजीयक नांगल राजावतान।
11. नानगराम पुत्र पांचू जाति मीना निवासी मोहनपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक –27.09.2021

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि आराजी खसरा नंबर 41, 60, 64, 65, 66, 68, 94 कुल किता 7 कुल रकबा 2.52

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नांगल राजावतान (दौसा)

हैक्टेयर वाके ग्राम मोहनपुरा तहसील नांगल राजावतान में स्थित है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में दावा तकास्मा का इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2017 को संयुक्त खातेदारी भूमि का मुताबिक दर्ज हिस्सा जमाबन्दी के आधार पर प्राथमिक डिकी किया गया। मुताबिक प्राथमिक डिकी के अनुसार तहसीलदार नांगल राजावतान को कुरेजात तैयार करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार नांगल राजावताનने उक्त वादग्रस्त आराजी का विभाजन के सम्बन्ध में अपने पत्रांक भू0अ0/2021/2294 दिनांक 04.08.2021 द्वारा कुरेजात पेश किये। बटवारा रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। बटवारा रिपोर्ट सही होना पाया गया। मुताबिक कुरेजात वकील उभयपक्ष ने बटवारा दावा अन्तिम डिकी किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं पत्रावली व कुरेजात का अवलोकन किया। इस प्रकरण में तहसीलदार नांगल राजावतान से प्राप्त कुरेजात बटवारा रिपोर्ट के अनुसार दावा अन्तिम डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि तहसीलदार नांगल राजावतान से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 65 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.11 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.19 है0 भूमि चंपा पत्नि रामनिवास अनिल सुनील मोहित पि. रामनिवास जाति मीना सा.देह खातेदार हिस्सा रहेगा तथा खसरा नम्बर 41 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 64 रकबा 0.57 है0, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.99 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.58 है0 भूमि पूनी पत्नि मूल्या, राजन्ती लाली उर्मिला गीता रिंकू हंसा मनीषा पुत्रियां मूल्या जाति मीना सा.देह खातेदार हिस्सा रहेगा तथा खसरा नम्बर 60/3 रकबा 0.09 है0 भूमि चंपा पत्नि रामनिवास अनिल सुनील मोहित पि. रामनिवास जाति मीना सा.देह खातेदार हिस्सा रहेगा तथा खसरा नम्बर 60/2 रकबा 0.33 है0 भूमि लाली रिंकू हंसा मनीषा पुत्रियां मूल्या जाति मीना सा. देह खातेदार हिस्सा रहेगा तथा खसरा नम्बर 60/1 रकबा 0.33 है0 भूमि गानगराम पुत्र पांचू जाति मीना सा.देह राहिन यूको बैंक शाखा लाहडी का बास हिस्सा रहेगा। कुरेजात डिकी का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें। तदनुसार अन्तिम डिकी जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
एवं नांगल राजावतान
नांगल राजावतान (दौसा)